

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

राजीतसिंह विपक्षी मनोहरसिंह

मुकदमा

212/2015

पत्रावली संख्या

53/21

सन

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>17/6/25 पत्रावली पेज हुई। अर्थात् उभयपक्ष उप. वि. सं. 1004 के अधिकांश प्रा. ली. गैर. 2015 के प्रा. ली. है। एवं <del>अर्थात्</del> 1004, 6 को पत्रावली प्रकरण दि. 17/6/25 पर भी प्रा. ली. पेज नही करके पर प्रा. ली. अवरुद्ध बंद किया जाता है। उ. सं. 1004, 6 को निरन्तर आवाके दि. 17/6/25 पर अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहने पर इसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अहकाम में लाई जाती है। पत्रावली वास्तव ताली न. 5, 7 दि. 17/6/25 को पेज हो।</p> <p>19/8/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. ताली न. 5, 7 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतः अर्थात् अतः 17/6/25 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 19/8/25 को पेज हो।</p> <p>(SDO) मावली</p> <p>14/10/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. ताली न. 5, 7 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतः अर्थात् अतः 17/6/25 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 14/10/25 को पेज हो।</p> <p>(SDO) मावली</p> <p>18/12/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. ताली न. 5, 7 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतः अर्थात् अतः 17/6/25 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 18/12/25 को पेज हो।</p> <p>(SDO) मावली</p>	

26/1/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उष।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
अधिकार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 21/1/26 को पेश हो।

B10  
2

21/1/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उष।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
अधिकार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 14/1/26 को पेश हो।

B10  
2

14/1/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी  
मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता  
प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM  
हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थी एवं उनके  
अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः  
अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित  
रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम  
टाइमरी क्लकम पैरवी में खारिज किया जाता  
है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर  
श्री क्रम हो।

तिथि सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) जहानाबाद